

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 199664 /

पटना, दिनांक 04/09/14

सं०सं०-ग्रा०वि०-06-जि०ग्रा०वि०अभि०प्रशा०/स्था०-11/2012

आदेश

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में अनुबंध पर नियोजित कर्मियों के मानदेय वृद्धि का मामला ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष विचाराधीन था। सम्यक विचारोपरान्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय दिनांक- 01.08.2014 के प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।


1. सूची:-

अनुबंध पर नियोजित डी०आर०डी०ए० कर्मियों का दिनांक- 01.08.2014 से निर्धारित संशोधित मानदेय।

क्र.सं०	डी०आर०डी०ए० कर्मियों का मानदेय	डी०आर०डी०ए० के संविदा कर्मियों का 2007 में स्वीकृत मानदेय	डी०आर०डी०ए० के संविदा कर्मियों को दिनांक- 01.08.2014 से देय संशोधित मानदेय
1	2	3	4
1	लिपिक-सह-टंकक	8,000	15,000
2	सहायक	8,000	15,000
3	लेखापाल / लेखा लिपिक	8,000	15,000
4	आशुलिपिक	8,000	15,000
5	तकनीकी सहायक	10,000	19,000
6	सांख्यिकी अन्वेषक	10,000	19,000
7	कार्यालय अधीक्षक	11,000	20,500
8	परियोजना अर्थशास्त्री	12,000	22,500
9	सहायक परियोजना पदाधिकारी	12,000	22,500
10	लेखा पदाधिकारी	12,000	22,500
11	वरीय लेखा पदाधिकारी	13,000	24,500
12	सहायक अभियंता	12,000	22,500
13	कार्यपालक अभियंता	20,000	37,500

- बढ़ी हुई मानदेय की दर दिनांक- 01.08.2014 से देय होगी।
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अपने प्रबंध पर्सद की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त मानदेय लागू करेंगे।
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत अनुभवी कर्मचारियों को 'Weighatage' देते हुए उनके नवनिर्धारित मानदेय में तीन वर्ष की सेवा के लिए 5%, छः वर्ष की सेवा के लिए 10% तथा नौ


- वर्ष की सेवा के लिए 15% अतिरिक्त राशि जोड़कर भुगतान किया जायगा । दिनांक- 01.08.2014 के बाद की सेवा के लिए किसी कर्मचारी को पुनः Weighatage नहीं दिया जायगा ।
5. विभागीय स्तर पर प्रत्येक दो वर्षों के बाद समीक्षा करके मानदेय संशोधन पर निर्णय लिया जायेगा । अतः 01.08.2014 से मानदेय निर्धारण के उपरान्त अगले निर्णय तक कोई Weighatage नहीं दिया जाएगा ।
 6. इसका भुगतान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के वेतन मद से किया जायगा ।
 7. सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इसका त्वरित कार्यान्वयन कराने हेतु समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।
 8. इसमें मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग की सहमति प्राप्त है ।


(एस0एम0राज) भा0ब्र0से0,
सरकार के सचिव 4/9/14

जापांक 199664 /

पटना, दिनांक 04/09/14


प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार / आई0 टी0 प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के सचिव
4/9/14

जापांक 199664 /

पटना, दिनांक 04/09/14

प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / आप्त सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव
4/9/14

